FORM - III

फर्द अहकाम

GCMSNO- 2023/295 (नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

बलविन्द्र सिंह बनाम मिठू सिंह आदि 2036/257

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी नम्बर 09 सन् 2023

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.2023	प्रार्थी बलविन्द्र सिंह पुत्र मिठू सिंह जाति जटसिख निवासी चक 24 ओ भुट्टीवाला जरिए मुख्तयारेआम कुलविन्द्र कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्री करणपुर जिला गंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 148ए सीपीसी पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 21 ओ के खाता संख्या 47/41 व चक 22 ओ बी के खाता संख्या 49/49, खाता संख्या 52/52 व चक 24 ओ के खाता संख्या 125/126 की भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण या अन्य व्यक्ति के द्वारा पेश किया जाता है तो उसमें कोई प्रभावी आदेश प्रार्थी को सुने बिना नही दिया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे । (हस्ताक्षर)	
27/9/23	आज यह पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (क) CPC पेश किए हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है अब इस पत्रावली मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज [illegible] पत्रावली निर्णित हो[illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.03 11:39:34 IST
Reason: SelfAttested